आयोजनागत

संख्या–1914/III (2)/04–28 (बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक 10 सितम्बर 2004

विषयः– वर्ष 2004–2005 में जिला योजना के अर्न्तगत निर्माणाधीन पूल्ड आवासों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1601/11(बजट)/भवन)आयोजनागत)/04दिनांक 20.8.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के संलग्न सूची में उल्लिखित निर्माणाधीन पूल्ड आवासों के निर्माण हेतु वर्ष 2004–05के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू0 119.00 लाख(रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का साख सीमा के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओ पर व्यय कदापि नही किया जायेगा । कार्यवार आवंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्यो पर ही कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय ।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्कता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आवंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा ।

6– आवास के कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण करके संबंधित को हस्तगत कर दिये जायेंगे ।

7– यदि पुनः स्वीकृति के उपरान्त पुनः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्व रूप से उपयोग नही किया जाता है,तो इसका समस्त दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही मानते हुए उसके विरूद्व समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

क्रमश 2/–

8– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या –22 लेखाशीर्षक 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत–800–अन्य व्यय –91 जिला योजना –00–24–वृहत्त निर्माण कार्य मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या– 1064/वित्त अनुभाग–3/04 दिनांक, 31 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0के0पन्त)
संयुक्त सचिव

संख्या–1914 (1)/III (2)/04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल, कुमायू मण्डल पौडी/ नैनीताल ।
3– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
4– निजी सचिव, मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
5 – समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
6– मुख्य अभियन्ता गढवाल / कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि./पौडी/ अल्मोड़ा ।
7– वित्त अनुभाग–3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/ गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

K C joshi-Go

शासनादेश संख्या– 1514 /लो.नि.–2/2004–28 (बजट)/2004 दिनांक 10 सितम्बर 2004
का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रू0 मे)

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवशेष धनराशि	वर्ष 2004–05 मे प्रस्तावित/आबंटित धनराशि ।
1.	लदाडी जिला उत्तरकाशी मे पूल्ड आवास के अनर्तगत आवासीय भवनो का निर्माण	50.98	49.98	40.00
2.	बम्मावत मे ग्राम पुनेठी के अर्न्तगत पूल्ड आवास के भवनो का निर्माण ।	450.01	350.12	59.00
3.	रूद्रपुर मे पूल्ड हाऊसिंग के अनर्तगत आवासीय भवनों का निर्माण ।	109.40	104.40	20.00
	योग:–	610.48	504.50	119.00

(रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख मात्र)

(डी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

R.C.Joshi-Go